न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

पत्रावली संख्या : 91/16 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्रीमती कंकुबाई पुत्री मेघा पत्नी लालुराम कुम्हार निवासी सिन्दु हाल फतहनगर तह. मावली।

.............प्रार्थीयां

बनाम

1. श्री लुम्बा पिता तेजा कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली **फौत के बजाय :–**

1/1 श्री भंवरलाल पिता लुम्बा कुम्हार निवासी सिन्दु तह. मावली।

1/2 श्रीमती बसन्ती पिता लुम्बा कुम्हार निवासी टाटोल हाल सिन्दु तह. मावली।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डागलिया, अधिवक्ता प्रार्थीयां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 14.10.2020

1. प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु की आराजी नम्बर 527, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 1885 किता 12 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी सं. 1 लुम्बा व अन्य के नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित हैं।

2. प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 का सजरा खानदान निम्न हैं :–

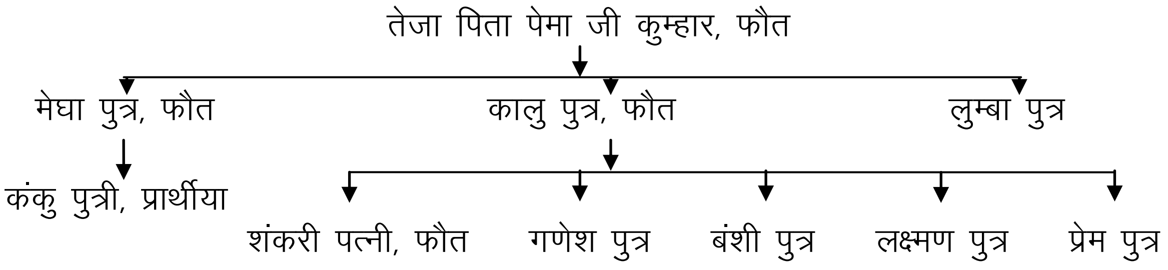

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:14:41 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है और संवत् 2022 भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग मौजा सिन्दु जिला उदयपुर में मुझ प्रार्थीयां के दादाजी स्व. तेजा पिता पेमा कुम्हार के नाम पर अंकित थी परन्तु तेजा जी कुम्हार के स्वर्गवास होने पर विपक्षी सं. 1 लुम्बा पिता तेजा ने स्वयं को एवं अपने अन्य भाई कालुजी को तेजाजी कुम्हार का अकेला वारिस बताकर उक्त सम्पूर्ण भूमि को विरासत से अपने व कालुजी कुम्हार के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि में तेजाजी कुम्हार के तीनो पुत्रों मेघा, कालु व लुम्बा का बराबर–बराबर समान रूप से 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन होना चाहिए था। मैं प्रार्थीयां स्व. मेघाजी कुम्हार की जायन्दा पुत्री व स्व. तेजाजी कुम्हार की पौत्री हुं, इसलिए मुझे जन्म से ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है परन्तु चूंकि विपक्षी सं. 1 लुम्बाजी कुम्हार ने अपने पिता तेजाजी कुम्हार के स्वर्गवास पश्चात् अपने व स्वत्र कालुजी कुम्हार को उनका एकमात्र वारिस बताकर उक्त सम्पूर्ण भूमि को दोनो के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन करवा दी जबकि उक्त पैतृक भूमि में विरासत से मुझ प्रार्थीयां के पिता मेघाजी कुम्हार का भी 1/3 हिस्सा बनता हैं।

4. यहां यह उल्लेखनीय है कि स्व. कालुजी कुम्हार जो विगत 60 वर्षों से गांव सिन्दू छोडकर अपने सहित गांव पलाना में निवास करने लगे और विपक्षी सं. 1 लुम्बाजी कुम्हार ने उक्त भूमि में कालुजी कुम्हार का जो 1/3 हिस्सा था उक्त 1/3 हिस्से को कालुजी की मृत्यु पश्चात् उनके वारिसों से उनको यह कहकर कि आपका उक्त भूमि में जो 1/3 हिस्सा है उसको मुझे विक्रय कर दो और उक्त भूमि में कालुजी कुम्हार का दस्तावेज के अनुसार तत्कालीन समय में जो 1/2 हिस्सा था उसका पंजीयन अपने नाम पर करवा लिया। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि का एकमात्र स्वामी बन गया। उक्त वर्णित आराजी नम्बर में से आराजी नम्बर 579 रकबा 10 बिस्वा, 580 रकबा 13 बिस्वा जो पूर्व में बिलानाम थी जिसको विपक्षी सं. 1 लुम्बा ने अपने नाम पर खातेदारी हक से अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा ली इसलिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में मुझ प्रार्थीया को कोई उजर एतराज नहीं है न ही उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त आराजीयात बाबत कोई दाद चाही गई हैं।

5. यह कि आराजी नम्बर 579 व 580 को छोडते हुए बकाया कुलिया 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि पैतृक सम्पति है और पूर्व में मुझ प्रार्थीयां के मौरूस तेजाजी कुम्हार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:14:41 IST
Reason: SelfAttested

के नाम पर सम्वत् 2022 भू. प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग मौजा सिन्दु में अंकित थी और उनके स्वर्गवास होने पर विपक्षी सं. 1 लुम्बा ने स्व. तेजा जी का वारिसों में अपना व स्व. कालु जी कुम्हार को एकमात्र वारिस बताकर दोनों के नाम पर अंकन करवा ली जबकि उक्त पैतृक भूमि में मुझ प्रार्थीयां के पिता स्व. मेघाजी कुम्हार का भी 1/3 हिस्सा है और इसी हिस्सेनुसार मौके पर मेरे पिता काबिज थे और उनके स्वर्गवास पश्चात् मैं प्रार्थीयां काबिज हुं और मेरे ही उपयोग उपभोग में होकर कब्जे काश्त में हैं।

6. अतः निवेदन है कि प्रार्थीयां के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी सं. 1 उक्त वर्णित भूमि में से आराजी नम्बर 579 व 580 को छोडते हुए बकाया कुलिया 6 बीघा 9 बिस्वा पैतृक कृषि भूमि में से मुझ प्रार्थीयां के 1/3 हिस्सा भूमि जिस पर मैं काबिज हु मैं किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करे और मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे और मुझ प्रार्थीयां को शांतिपूर्वक अपने 1/3 हिस्सा भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1/1, 1/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। विपक्षी सं. 2 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।

8. हमने अधिवक्ता प्रार्थीयां की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वादीयां की पैतृक सम्पति होकर पूर्व में उसके दादा तेजाजी के नाम दर्ज थी। जिसे लुम्बा द्वारा अपने अकेले के

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:14:41 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर दर्ज करवा ली हैं। प्रार्थीया की पैतृक भूमि होने से प्रार्थीयां का जन्म से अधिकार होना जाहिर होता हैं। पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. *अपूरणीय क्षति*— प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीयां का जन्म से अधिकार निहीत हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई हैं यदि विपक्षी सं. 1 उक्त जमीन को खुर्द बुर्द कर देता है तो प्रार्थीयां को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीयां के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *सुविधा का संतुलन*— प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

10. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पूर्व में तेजाजी के नाम पर दर्ज थी जो विरासत से तेजाजी के वारिस मेघा, कालु, लुम्बा के नाम बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। जिसे लुम्बा ने गलत जानकारी देकर अपने नाम दर्ज करवा ली हैं। भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीयां का जन्म से अधिकार होना बताया है। प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज भी पेश किये है जिससे उक्त भूमि पूर्व में तेजाजी के समय से चली आ रही हैं। प्रार्थीयां तेजाजी के पुत्र मेघा की पुत्री होने से मेघा के हिस्से की भूमि में अपना हक अधिकार रखती हैं। प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टया मामला होने से पूर्व में भी प्रार्थीयां के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। खातेदारी अधिकारों सम्बन्धित तथ्यों को मूल वाद में साक्ष्य, सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:14:41 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सिन्दू पटवार हल्का सिन्दू की आराजी नम्बर 527, 581 से 588, 1885 किता 10 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीयां को अपने हिस्से का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.10.21 10:14:41 IST
Reason: SelfAttested